न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्री विजयनगर जिला अनूपगढ़

पीठासीन अधिकारी – श्रीमति सीता शर्मा आर.ए.एस.

अनवान –

1. हरपाल सिंह पुत्र श्री मलकीत सिंह जाति जटसिख निवासी चक 4 एल.सी.(ए) तहसील श्री विजयनगर जिला अनूपगढ़।

-प्रार्थी-

बनाम

1. परविन्द्र कौर पत्नी श्री कुलवन्त सिंह उर्फ मखन सिंह जाति जटसिख निवासी चक 4 एल.सी.(ए) तहसील श्री विजयनगर अनूपगढ़
2. राजस्थान सरकार जरीये तहसीलदार राजस्व श्रीविजयनगर जिला अनूपगढ़।

-अप्रार्थीगण-

उपस्थिति – 1. श्री अवतार सिंह मल्ली एवं नवीन कुमार मिढ्ढा वकील प्रार्थी
2. श्री साहिब बाघला वकील अप्रार्थी संख्या 1
3. पैराकार राज तहसीलदार श्री विजयनगर

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम)

प्रकरण संख्या – 76/2023 **निर्णय दिनांक – 29/02/2024**

प्रकरण में तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार है :-

प्रार्थी के द्वारा उपरोक्त अनवान का एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) आर.टी.ए. प्रस्तुत किया जाकर निवेदन किया कि प्रार्थी की कृषि भूमि तहसील श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर के चक 4 एल.सी (ए), पटवार क्षेत्र 4 जे.एस.डी., भू. अभि.नि. क्षेत्र जैतसर के खाता संख्या 119, पत्थर नम्बर 136/359, मुरब्बा नम्बर 23 का किला नम्बर 11/3, 12/2, 13/2, 14/2, 15/2, 16 ता 25 सालम सालम की कुल 3.1630 हैक्टर कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है जिसका प्रार्थी रिकॉर्ड खातेदार है। अप्रार्थी संख्या 1 परविन्द्र कौर के नाम से चक 4 एल.सी (ए), के खाता संख्या 53, पत्थर नम्बर 136/359, मुरब्बा नम्बर 23 का किला नम्बर 1 ता 5 सालम सालम, किला नम्बर 10 सालम, किला नम्बर 11/2 में 0.0.63 हैक्टर नहरी भूमि कुल 1.5810 हैक्टर कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। अप्रार्थी संख्या 1 परविन्द्र कौर के नाम से पैरा संख्या 3 में दर्ज कृषि भूमि के किला नम्बर 1 ता 5 के साथ चिपता हुआ सरकारी रास्ता स्वीकृत है इसी रास्ता से अप्रार्थीया अपने मुरब्बा नम्बर 23 में स्थित अपने किला नम्बर 1 ता 5 की भूमि में प्रवेश करती है जो यह सरकारी रास्ता आगे जाकर जैतसर से चक 4 एल.सी.(बी) को जाने वाली पक्की लिंक रोड़ के साथ मिल जाता है। प्रार्थी अपने नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज उक्त मुरब्बा नम्बर 23 में

लगातार..........2

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Scanned with CamScanner

स्थित अपने किलाजात की भूमि में आने-जाने एंव कृषि उपज वा उपकरण आदी लाने वा ले जाने के लिऐ अप्रार्थी संख्या 1 के किलाजात संख्या 1 ता 5 के साथ चिपते हुऐ सरकारी रास्ता से होकर पूर्व अर्सा दराज से ही अप्रार्थीया संख्या 1 के साथ परस्पर सहमति से चक 4 एल.सी (ए) के पत्थर नम्बर 136/359, मुरब्बा नम्बर 23 में स्थित अप्रार्थी संख्या 1 परविन्द्रकौर के किला नम्बर 1, 10, 11/2 की भूमि में से होकर आगे प्रार्थी अपने किला नम्बर 11/3 की भूमि में प्रवेश कर इससे आगे अपने किलाजात संख्या 12/2, 13/2, 14/2, 15/2, 16 ता 25 की भूमि में आना-जाना कर काश्त आदी की व्यवस्था करता आ रहा है लेकिन मुरब्बा नम्बर 23 के किला नम्बर 1, 10, 11/2, में मुरब्बा लाईन पर स्थित मौका पर चल रहा यह उपरोक्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में स्वीकृत नही होने के कारण अक्सर परेशानी उठानी पडती है ऐसी स्थिती में मुरब्बा लाईन पर प्रार्थी को मुरब्बा नम्बर 23 में स्थित अपने किलाजात की भूमि में आने जाने के लिए इसी मुरब्बा नम्बर 23 में स्थित अप्रार्थीया संख्या 1 के किला नम्बर 1, 10, 11/2, में दो-दो बिस्वा नया रास्ता स्वीकृत करवाना आवश्यक हो गया है इसलिए प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीया संख्या 1 की कृषि भूमि में से नया रास्ता स्वीकृत करवाये जाने हेतू मौजूदा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रार्थी को अपनी उपरोक्त कृषि भूमि में जाने हेतू अन्यत्र कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है चूंकि चक 4 एल. सी. (ए) के मुरब्बा नम्बर 23 पत्थर नम्बर 136/359 के किला नम्बर 1, 10, 11/2 में परस्पर सहमति से मौका पर चल रहे रास्ता को अवरोधित किये जाने एवं किसी भी समय उसे बन्द किये जाने की पुरी-पुरी संभावना है इसलिये प्रार्थी के नाम पैरा संख्या 2 में दर्ज किलाजात की भूमि में आने-जाने के लिए उपरोक्तानुसार दो-दो बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया जाना अति आवश्यक हो गया है। उक्त रास्ता के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में जाने के लिए सरल एव सुगम नहीं हो सकता है इसलिये प्रार्थी अपनी कृषि भूमि में जाने के लिए उक्त नया रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता है। कानूनन प्रार्थी को उसकी अपनी खातेदारी भूमि में रास्ता आने जाने हेतू उपलब्ध करवाया जाना एवं स्वीकृत किया जाना न्यायोचित है जिसके विकल्प में प्रार्थी जो कि अप्रार्थीगण को उक्त रास्ता की भूमि की ऐवज में कानूनी प्रावधानो के अन्तर्गत निर्धारित डी.एल.सी. दर की दुगुनी राशि मुआवजा स्वरूप अदा करने के लिए तैयार एवं तत्पर है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीया को कई मरतबा जाकर निवेदन किया कि वह तहसील श्री विजयनगर के चक 4 एल.सी. (ए) के मुरब्बा नम्बर 23 पत्थर नम्बर 136/359 के किला नम्बर 1, 10, 11/2 में दो-दो बिस्वा रास्ता स्वीकृत करवाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करवा देवें जिससे कि प्रार्थी को अपनी खातेदारी कृषि भूमि मुरब्बा नम्बर 23 मे स्थित किलाजात की भूमि में आने जाने हेतू सुगम एवं सुविधाजनक स्वीकृत रास्ता उपलब्ध हो सके एवं इस हेतू प्रार्थी, अप्रार्थीया की भूमि की पूर्ति डी.एल.सी. दर की दुगुनी राशि से करने हेतू भी तैयार व तत्पर है लेकिन अप्रार्थीया द्वारा ऐसा करने से दिनांक 18.07.2023 को कतई इन्कार कर दिया। अप्रार्थीया की उक्त इन्कारी से ही प्रार्थी को मौजूदा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का वाद हेतूक उत्पन्न हुआ है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 से भी इस सम्बन्ध में कार्यवाही कर उक्त रास्ता रिकॉर्ड में स्वीकृत करने का निवेदन किये जाने पर उनके द्वारा माननीय

लगातार.......3

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

न्यायालय से आदेश लाने का कहे जाने पर प्रार्थी को अप्रार्थी संख्या 2 के खिलाफ भी वाद हेतूक प्राप्त हुआ है। रास्ता की आत्यान्तिक आवश्यकता होने के कारण मौजूदा आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है। अप्रार्थी संख्या 2 लैण्ड होल्डर है इसलिए भी उसे प्रार्थना पत्र में आवश्यक पक्षकार मुकदमा बनाया गया है। आदि-आदि का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थीया संख्या 1 की कृषि भूमि तहसील श्री विजयनगर के वाके चक 4 एल.सी. (ए), पटवार क्षेत्र 4 जे.एस.डी., भू.अभि.नि. क्षेत्र जैतसर के मुरब्बा नम्बर 23 पत्थर नम्बर 136/359 के किला नम्बर 1, 10, 11/2 में पत्थर लाईन पर दो-दो बिस्वा भूमि रास्ता हेतु स्वीकृत की जाकर उसका रिकॉर्ड में इन्द्राज किया जावे जिससे कि प्रार्थी मुरब्बा नम्बर 23 में स्थित अपने किला नम्बर 11/3 में प्रवेश कर आगे अपने किलाजात संख्या 12/2, 13/2, 14/2, 15/2, 16 ता 25 की कृषि भूमि में प्रवेश कर सके। प्रार्थी विकल्प में रास्ता में आयी भूमि की पूर्ति डी.एल.सी. दर की दुगुनी राशि से अप्रार्थीया को करने को तैयार है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। बाद तामील नोटिस अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अपना जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों से असहमति प्रकट करते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीया सं-1 की कृषि भूमि वाके चक-4 एल.सी.(ए) तहसील श्रीविजयनगर का पत्थर सं-126/359 मु.नं. 23 के किला नं. 1, 10, 11/2 की भूमि मे से प्रवेश करना स्वीकार है लेकिन उक्त बीघो मे कोई भी रास्ता सहमति से चालु नही है तथा ना ही कोई रास्ता है तथा ना ही प्रार्थी अप्रार्थीया सं-1 की सहमति से उक्त बीघो मे से आना जाना करता है। जबकि अप्रार्थीया सं-1 की कृषि भूमि के किला नं-1, 10, 11/2 मे वाटरवर्क्स की पाईप लाईन बीछी हुई है तथा उक्त पाईप लाईन से अक्सर पानी रिसाव होता रहता है तथा उक्त पाईप लाईन से पानी रिसाव होने के कारण उक्त बीघो मे पानी इक्कठा होता रहता है। इसलिए प्रार्थी कानूनी रूप से भी अप्रार्थीया सं-1 की भूमि के किला नं-1, 10, 11 में से किसी भी प्रकार से रास्ता स्वीकृत करवाने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थी को भी इस तथ्य का इल्म है कि इन बीघो मे वाटरवर्क्स की पाईप लाईन डाली गई है लेकिन इसके बावजुद भी प्रार्थी ने जलदाय विभाग को पक्षकार नही बनाया गया है। पक्षकारों के कुंसयोंजन होने के कारण भी प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्ती योग्य है। अप्रार्थीया सं-1 की कृषि भूमि वाके चक-4 एलसी (ए) तहसील श्रीविजयनगर का पत्थर सं-136/359 मुरब्बा नं-23 के किला नं-1, 10, 11/2 की भूमि में किसी प्रकार का रास्ता मौका पर चालु नही है तथा ना ही किसी की सहमति से उक्त बीघो मे मौका पर रास्ता चल रहा है बल्कि इन बीघों मे वाटरवर्क्स विभाग की पाईप लाईन डाली गई है तथा पानी ओवरफ्लो होने के कारण उसमे से अक्सर पानी का रिसाव होता रहता है। जब मौका पर कोई रास्ता है ही नही तो ऐसे किसी रास्ते को बंद करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। प्रार्थी स्वंय अपने प्रार्थना पत्र मे यह दर्ज कर रहा है कि अप्रार्थीया सं-1 की कृषि भूमि के किला नं-1 ता 5 मे सरकारी रास्ता चल रहा है तथा इसके बावजुद भी प्रार्थी अप्रार्थीया की कृषि भूमि के किला नं-1, 10, 11 मे से

लगातार.........4

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Scanned with CamScanner

रास्ता मांग रहा है। प्रार्थीया एक लघु काश्तकार है प्रार्थीया के नाम से केवल मात्र 1.5810 हैक्टर कृषि भूमि है जिसमें से पहले से ही किला नं-1 ता 5 मे रास्ता चल रहा है तथा किला नं- 1, 10, 11 मे वाटरवर्क्स की पाईप लाईन डाली गई है ऐसी स्थिति में अप्रार्थीया की कृषि भूमि के दोनो तरफ रास्ता हो जावेगा तथा भूमि और भी कम हो जावेगी तथा ना ही अप्रार्थी सं-1 ने कभी भी प्रार्थी को ऐलानिया धमकी दी है क्योंकि प्रार्थी स्वंय यहां चक-4 एलसी (ए) तहसील श्रीविजयनगर में निवास नहीं कर विदेश में निवास करता है तथा वर्तमान मे भी प्रार्थी विदेश मे है। प्रार्थी केवल मात्र यहां अपने परिवारवालो से मिलने आया था तथा यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पुनः विदेश चला गया। इसलिए ऐसी स्थिति मे अप्रार्थीया सं-1 द्वारा प्रार्थी को रास्ता बंद करने की धमकी देने का प्रश्न ही पैदा नही होता है। प्रार्थी ने केवल मात्र समस्त तथ्य प्रकरण की नोईयत को पुरा करने के आश्य से मिथ्या रूप से दर्ज किऐ है। मौका पर जब कोई रास्ता चल ही नही रहा है, ना ही कोई रास्ता है तो ऐसे किसी रास्ता को बंद करने का प्रशन ही पैदा नही होता है। प्रार्थी ने माननीय अदालत मे मिथ्या तथ्यो के आधार पर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी व अप्रार्थीया सं-1 एक ही परिवार के सदस्य है केवल मात्र पारिवारिक रंजिश के चलते प्रार्थी ने अप्रार्थीयः सं-1 को हैरान परेशान करने के आश्य से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। जिसमे लेश मात्र सच्चाई नही है। प्रार्थी को उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कतई अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में कृषि भूमि वाके चक-4 एलसी (ए) तहसील श्रीविजयनगर का पत्थर सं-136/359 मुरब्बा नं-23 के किला नं-1, 10, 11/2 की भूमि में से रास्ता मांगा गया है तथा किला नं-11/3 स्वंय का होना, किला नं-11/2 अप्रार्थीया सं-1 का होना दर्ज किया है लेकिन किला नं-11/1 सहकाश्तकार मखनसिंह का है जिसका प्रार्थी को स्पष्ट इल्म है। किला नं-11 का कौनसा हिस्सा किस काश्तकार का है यह स्पष्ट नहीं है तथा ना ही प्रार्थी ने जानबुझकर अपने प्रार्थना पत्र मे सहकाश्तकार मखनसिंह को पक्षकार बनाया गया है। इसलिए भी प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्ती योग्य है। अप्रार्थीया सं-1 की कृषि भूमि वाके चक-4 एलसी (ए) तहसील श्रीविजयनगर का पत्थर सं-136/359 मुरब्बा नं-23 के किला नं-1, 10, 11/2 की भूमि मे जलदाय विभाग की पाईप लाईन चल रही है तथा इन्ही बीघो मे से रास्ता मांगा गया है लेकिन इसके बावजुद भी प्रार्थी ने जलदाय विभाग को भी पक्षकार नहीं बनाया गया है। कृषि भूमि वाके चक-4 एलसी (ए) तहसील श्रीविजयनगर का पत्थर सं-136/359 मुरब्बा नं-23 के किला नं-9 मखनसिंह का है भविष्य मे मखनसिंह भी अपनी कृषि भूमि के लिए रास्ते की मांग कर सकता है। इसलिए विकल्प मे प्रार्थी को किला नं-2, 9, 10, 11 मे से रास्ता दिया जा सकता है। आदि-आदि जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त करने का निवेदन किया। अप्रार्थी पैरोकार राज ने अपना जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि चाहे गये रास्ते की परम आवश्यकता है। जोत तक पहुंचने के लिए स्वीकृत शुदा रास्ते का अभाव है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के मध्य सहमति से लगभग 5 वर्षो से प्रार्थी अप्रार्थी के मु.नं. 136/359 के किला नं. 1, 10, 11 के रास्ते का

लगातार..........5

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

प्रयोग करते हुए अपनी जोत तक पहुंचता है। न्यूनतम एवं निकटतम विकल्प अव्यवहारिक नहीं है। जोत तक पहुंचने का सम्पूर्ण रास्ता खातेदार की भूमि से होकर गुजरता है।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने एवं रिपोर्ट तहसीलदार का अवलोकन करने पर पाया कि प्रार्थी के रकबा के लिए कोई स्वीकृत शुदा रास्ता नहीं है। प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता प्रार्थी के रकबा के निकटतम एवं सबसे छोटा रास्ता है। अतः प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता को रास्ता आम के रूप में स्वीकृत किया जाना न्यायोचित है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) आर.टी.एक्ट. स्वीकार किया जाकर चक 4 एल.सी. (ए), पटवार क्षेत्र 4 जे.एस.डी., भू.अभि.नि. क्षेत्र जैतसर के मुरब्बा नम्बर 23 पत्थर नम्बर 136/359 के किला नम्बर 1, 10, 11/2 में पत्थर लाईन पर दो-दो बिस्वा भूमि रास्ता आम के रूप में स्वीकृत किया जाता है। प्रार्थी डी.एल.सी. की दुगुनी राशि अप्रार्थीया को देगा। उक्त रास्ते में आदेशानुसार पारित होने वाली भूमि की भली भांति पैमाईश की जाकर उक्त आदेशानुसार रास्ते की भूमि का मौके पर चिन्हीकरण करवा कर राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता का अमलदरामद किया जावे यदि मौका पर रास्ते की भूमि पर फसल बिजान है तो प्रार्थी से फसल का उचित मुआवजा भी अप्रार्थीया को दिलवाया जाकर रास्ता चालू करवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 29/02/2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(श्रीमती सीता शर्मा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर